RCMS/00003

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का सालवाड़ी बनाम प्रहलाद सिंह पुत्र राजपाल सिंह राजपूत सालवाड़ी,

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या 03 निर्णय दिनाँक :- 5-12-19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सालवाड़ी की आ.ख.न. 591/0.19 कुल रकबा 0.19 किस्म जमीन गै.मु.मरघट में से 0.01 घूरा बिटोड़ा रकबे पर श्री प्रहलाद सिंह राजपाल सिंह राजपूत पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 0.01 घूरा बिटोड़ा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का सालवाड़ी द्वारा दिनाँक 1-8-19 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. सौंखर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज़ रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी प्रहलाद सिंह पुत्र राजपाल जाति राजपूत निवासी सालवाड़ी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी प्रहलाद सिंह पुत्र राजपाल राजपूत उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 591 रकबा 0.19 में से 0.01 घूरा, बिटोड़ा रकबे किस्म गै.मु.मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा ग़ैरसायल को आतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.35 पैसा का 50 गुणा 21 रुपये रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी सालवाड़ी भू.अ.निरी. सौंखर को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, (अलवर) (राज.)

प्रतिलिपि :- प. E.

रा. रि. सं. 4 के पृष्ठ सं. 64 क्रम सं. 11
वर्ष 2019-20 में मदों राशि 21
की कायमी की गई

5/3/2020
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील कठूमर